दिनांक 10.04.2021 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

लाकडाउन में बेच रहे थे सामान, निगम की टीम ने लगाया 9650 रुपए जुर्माना, निगम की टीम लगातार कर रही है मा ॅनिटरिंग

भिलाईनगर / बढ़ते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए ला ॅकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है। निगम की टीम ने आज वैशालीनगर , स्मृतिनगर, सुपेला बाजार, नंदीनी रोड, नेहरू नगर, कोसानगर, राधिका नगर, अंडा चौक, शास्त्रीनगर सहित भिलाई निगम के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किए और लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया तथा आवश्यक सेवाओं वाली दुकान पर भीड़ न लगे इसकी भी समझाइश दी। लॉकडाउन से छूट वाले कुछ जगह भीड़ पाए जाने वाले स्थान पर क्रमबद्ध दूरी बनाकर सामान देने समझाईश दी। इसके अलावा सामग्री ले जाने वाले वाहन में बिना मास्क के अधिक लोग बैठाकर ले जाते हुए पाए जाने पर भी अर्थदण्ड वसूला गया। भिलाई निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम की टीम शहर के सभी प्रमुख बाजारों का निरिक्षण कर रही है! तथा लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहे है , घनी आबादी वाले गली , मोहल्लों में दुकान न खुल पाए इसकी लगातार मा ॅनिटरिंग की जा रही है! निगम की टीम सभी क्षेत्रों में घूम-घूम कर निरीक्षण कर रहे है ताकि लोग अनावश्यक न निकले। निरीक्षण के दौरान पांच लोगों से 9650 रूपये अर्थदण्ड वसूलने की कार्रवाई की गई। निगम क्षेत्र के नेहरू नगर के वाई रेहरे कीचन खुला पाया जिनसे 3000 हजार रूपए, मिलन चौक राधिका नगर के क्षीर सागर होटल संचालक द्वारा दुकान का आधा सटर खोलकर सामान देते हुए पाए जाने पर 5000 हजार रूपये, दो जगह दुकान का शटर आधा खोलकर सामान देते हुए पाए जाने पर तत्काल बंद कराया गया! भिलाई निगम क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम करने जिला प्रशासन द्वारा 14 अप्रैल तक लगाए गए ला ॅकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मोबाइल टीम में कार्रवाई के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा , शरद दुबे एवं दल प्रभारी प्रकाश अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे!